न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद संख्या :– 12 / दावा / 2019

मोड़या आत्मज रामपाल उम्र व्यस्क जाति गुर्जर निवासी डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

– प्रतिवादी

वाद बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री लीलाधर सिंह

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

दिनांक 21 / 02 / 2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 01.02.19 को उक्त उनवान का वाद पेश किया था। वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 638 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी उप कृषक की हैसियत से काबिज कास्त है जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में हो रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि को राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व वादी के पिता ने फाड़ तोड़ कर कृषि कार्य हेतु आबाद किया था। उस समय वादी का पिता उप कृषक की हैसियत से वाद वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर कास्त करने लगा। वाद वर्णित कृषि भूमि का लगान भी लेण्ड होल्डर के द्वारा वादी के पिता से प्राप्त की जाती थी। इस प्रकार वादी के पिता को लेण्ड होल्डर ने वाद वर्णित कृषि भूमि का तत्समय अभिधारी स्वीकार कर लिया था। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वाद वर्णित कृषि भूमि

Scanned by CamScanner

पर वादी काबिज होकर कास्त करने लगा। जहां पर वादी के पिता को तत्समय धारा 15, धारा 16 कास्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिये था। केवल मात्र उप कृषक ही दर्ज किया गया। इसके बाद वादी को भी उप कृषक ही दर्ज किया गया जबकि वादी के पिता वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार बन चुके थे। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी से वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी को खातेदारी दर्ज करने तथा उप कृषक इन्द्राज को हटाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने आज दिन तक वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी को खातेदार दर्ज करने तथा उप कृषक का इन्द्राज हटाने से इंकार कर दिया। वादी को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय से वाद वर्णित कृषि भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराकर उप कृषक के इन्द्राज को हटावें।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया।

4. वादी ने साक्ष्य मे पी.डब्लू–1 के रूप मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2074–77 प्रदर्श 1 पेश की। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये गये।

5. वकील वादी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ततपश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। उपरोक्त उनवानी वाद का निर्णय निम्न विवेचन एंव विश्लेषण अनुसार किया जा रहा है। दौराने बहस वादी अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादी के पिता का नाम उपरोक्त कृषि भुमि पर खातेदारी के रूप मे दर्ज किया जाना चाहिए था। क्योंकि धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक अभिधारी की अवधि समाप्त हो गई जिसे राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स आर्डिनेन्स के धारा 4 के अधीन बेदखल नहीं किया जा सका तो वह इस अधिनियम के लागू होते ही स्वतः खातेदार बन गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा आर.आर.डी. 2000 पेज नं. 14 पेश की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अभिलेख मे किसी अभिधारी का नाम किसी भी रूप मे अभिलिखित हो तो वह अभिधारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के

Scanned by CamScanner

अधीन खातेदारी अधिकार हो जाता है चाहे वह भूमि देव मूर्ति की भूमि ही क्यों ना हो। वादी का पिता 1952 से विवादित भूमि पर खेती कर रहा था इस प्रकार जो दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रमाणित है। इस प्रकार वादी का पिता ही उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार बन गया था। इस प्रकार वादी भी उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार है। वादी वकील ने आर.आर.डी. 1995 पेज नम्बर 73 पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद वर्णित कृषि भूमि का धारा 15 के तहत खातेदार बन चुका था। तथा तत्समय वादी के पिता से लगान संदेय है। प्रदर्श 1 से प्रथम दृष्टया साबित होता है कि लेण्ड होल्डर ने विवादित भूमि का अभिधारी वादी को स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचनों व विश्लेषणों के अनुसार वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का तथा वर्तमान राजस्व जमाबंदी में उप कृषक के इन्द्राज को हटाने का अधिकारी पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को कृषि भुमि खसरा संख्या 638 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, (राज.) का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी का नाम खातेदार के रूप में उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज उप कृषक के इन्द्राज को हटा कर राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर से वादी को बेदखल नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना अन्य से करावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner